

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

संख्या-3 /विविध-01-63 / 2025-

/स्वा0, पटना, दिनांक :

बिहार स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग के निम्न चिकित्सा पदाधिकारियों को NEET PG-2025 के काउंसलिंग/नामांकन हेतु अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि पूर्व में चिकित्सकों के द्वारा NEET PG अध्ययन हेतु विगत वर्षों में विभागीय अनुमति के पश्चात अध्ययनरत नहीं रहे हो.-

क्र० सं०	चिकित्सक का नाम/पदनाम/पदस्थापन स्थल	जन्म तिथि
1	2	3
1	डा० शिप्रा, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पीरो, भोजपुर	15.10.98
2	डा० सलोनी कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, अति०प्रा०स्वा० केन्द्र, अम्बा, रहुई, नालंदा	23.02.2000
3	डा० उत्कर्ष राज, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रहुई, नालंदा	21.01.99
4	डा० अंकित आनंद, चिकित्सा पदाधिकारी, अति०प्रा०स्वा० केन्द्र, नारायणपुर, बाराहाट, बौका	10.03.90
5	डा० अंजनी कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बाराहाट, बौका	10.02.89
6	डा० श्रुति प्रकाश, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, डुमराँव, बक्सर	04.07.83
7	डा० ऐश्वर्य भाव्या, चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा०स्वा० केन्द्र, मटिहानी, बेगुसराय	16.10.95
8	डा० रवि रंजन, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, साहेबपुरकमाल, बेगुसराय	01.07.90

02. राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में नामांकन प्राप्त करनेवाले चिकित्सा पदाधिकारियों पर विभागीय संकल्प सं० 450(1) दिनांक 15.04.2017 एवं विभागीय अधिसूचना सं० 1092(17) दिनांक 04.10.2025 के सभी शर्तें लागू होंगी ।

03 उक्त चिकित्सा पदाधिकारियों को अनुमति मात्र पी०जी० पाठयक्रम हेतु प्रदान की जा रही है ।

04. उक्त चिकित्सक अध्ययन/प्रशिक्षण प्रारम्भ करने के पूर्व अपने-अपने नियंत्री पदाधिकारी से विधिवत विरमित होना सुनिश्चित करेंगे ।

05. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

ह०/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक :

197 (3)

/स्वा0, पटना, दिनांक:

26/2/26

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना/संबंधित प्राचार्य/संबंधित अधीक्षक/संबंधित निदेशक/संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, 2, 8, 9 एवं 17/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: विभागीय पी०एम०यू० लीड/डाटा एनॉलिस्ट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

Reenu Kumari
26/2/26
विशेष कार्य पदाधिकारी